

22/5  
25

वकील एम. एम. (वादी की ओर से  
 प्रस्तुत ज. पत्र क्र. 22/2012 पृष्ठ 9 CPC  
 पर अनुपपत्तों की बहस चुनी गयी  
 वकील प्रतिवादी को कावेयन स्वीकार  
 करने में आपत्ति नहीं है। बतः  
 ज. पत्र स्वीकार किया जाता है।  
 प्रतिवादी नं. 1 का नाम विरोधित विधे  
 जोन का आदेश दिया जाता है।  
 वादी/ज. की ओर से प्रस्तुत ज. पत्र  
 क्र. 22/10 CPC पर बहस  
 चुनी गयी। वकील प्रतिवादी को ज.  
 पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं  
 है। बतः ज. पत्र स्वीकार किया जाता  
 है। विधे दिया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण  
 की प्रत्येक प्रमाणित प्रमाणों के साथ संश्लिष्ट  
 प्रकरण की प्रमाणित ज. सं. 8/2012 ज. व. व.  
 वकील के साथ संलग्न की गयी।

सहायक कलेक्टर  
 बड़ीसादड़ी

